

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/RTE/C/पुनर्भरण/18882/16-17/द्वितीय किस्त/72

दिनांक:-1.8.../04/17

1. जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा (समस्त)
2. जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) (समस्त)
3. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी(समस्त)

विषय:-आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2016-17 में गैर सरकारी विद्यालयों में 25% सीटों पर प्रवेशित निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के संबंध में द्वितीय किस्त की प्रतिपूर्ति राशि के पुनर्भरण के संबंध में ।

प्रसंग:-राज्य सरकार का पत्रांक:-प.9(6)शिक्षा-5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक 29.8.2016 एवं 04.11.2016, इस कार्यालय का पूर्व समसंख्यक पत्रांक 24 दिनांक 25.11.16 ।

उपरोक्त प्रासांगिक विषयांतर्गत लेख है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2016-17 में नव प्रवेशित एवं पूर्व वर्षों के क्रमोन्नत बालकों के संबंध में सत्र 2016-17 की द्वितीय किस्त के पुनर्भरण राशि का भुगतान राज्य सरकार का पत्रांक:-प.9(6)शिक्षा-5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक 29.8.2016 एवं 04.11.2016 की पालना में गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में किया जाना है। इस संबंध में संबंधित बीईईओ/जि.शि.अ. प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा कार्यालयों द्वारा आरटीई वेब पोर्टल (rte.raj.nic.in) पर, निदेशालय प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा संबंधित कार्यालयों को ऑनलाईन बजट राशि आवंटन करने, संबंधित कार्यालयों द्वारा आवंटित बजट राशि के अनुसार ऑनलाईन पास ऑर्डर जारी कर पे-मेनेजर से इन्टीग्रेट कर ऑनलाईन बिल तैयार कर कोषालय प्रेषित कर भुगतान करवाने के संबंध में निम्नानुसार विस्तृत निर्देश प्रदान किये जाते हैं-

1. राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (5) की पालना में प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय को की जाती है। अप्रैल से अगस्त की कालावधि के लिए पहली प्रतिपूर्ति अक्टूबर मास में और सितम्बर से शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक की कालावधि के लिए अन्तिम प्रतिपूर्ति जून के अंत तक की जानी होती है।
2. राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (7) की पालना में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) अन्तिम प्रतिपूर्ति करने से पूर्व बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा या सत्यापित करवा सकेगा।
3. शैक्षिक सत्र 2016-17 की द्वितीय किस्त का पुनर्भरण करने हेतु पास ऑर्डर जारी करते समय राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:-प.9(6)शिक्षा-5/यूनिट कॉस्ट/2015 जयपुर दिनांक 29.8.2016 एवं 04.11.2016 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना संबंधित आहरण वितरण अधिकारी बीईईओ/जि.शि.अ. प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा कार्यालयों द्वारा की जावे।
4. जिन गैर सरकारी विद्यालयों को प्रथम किस्त के भुगतान के समय पाठ्य पुस्तकों के संबंध में पुनर्भरण राशि का भुगतान कर दिया है उन्हें द्वितीय किस्त के भुगतान के समय पाठ्य पुस्तकों की पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं किया जावे।
5. जिन गैर सरकारी विद्यालयों ने निःशुल्क शिक्षा हेतु अध्ययनरत् बालकों को पाठ्य पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई है उन्हें द्वितीय किस्त का भुगतान तब तक नहीं किया जावे जब तक कि वे बालक को पाठ्य पुस्तक एवं सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं करवा देते।
6. प्राथमिक/उप्रा गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा क्लेम बिल की सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड (एडी) डाक से संबंधित बीईईओ/ जि.शि.अ. प्रा.शिक्षा कार्यालयों में प्रेषित करेंगे। संबंधित बीईईओ/जि.शि.अ. प्रा.शिक्षा कार्यालयों द्वारा प्राप्त क्लेम बिलों का तत्काल ऑनलाईन पास आर्डर जारी कर पे-मेनेजर पर बिल बनाकर कोषालय प्रेषित करेंगे तथा संबंधित कोषालय/उपकोषालय द्वारा बिल पारित कर गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में राशि अन्तरित करेंगे।
7. इसी प्रकार माध्यमिक/उमा गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा क्लेम बिल की सचिव/अध्यक्ष के हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड (एडी) डाक से संबंधित जि.शि.अ. मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों में प्रेषित करेंगे। संबंधित

- जि.शिक्षा. मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा प्राप्त क्लेम बिलों का तत्काल ऑनलाईन पास आर्डर जारी कर पे-मैनेजर पर बिल बनाकर कोषालय प्रेषित करेंगे तथा संबंधित कोषालय/उपकोषालय द्वारा बिल पारित कर गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में राशि अन्तरित करेंगे।
8. पुनर्भरण हेतु पास आर्डर जारी करने की प्रक्रिया को पे-मैनेजर से इन्टीग्रेट किया जा चुका है। अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी पास आर्डर जारी करते समय संबंधित अधिकारी/कार्मिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर को इस संबंध में पूर्ण सावधानी से कार्य करने के निर्देश देते हुए स्वयं की देखरेख में इस कार्य को संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी अधिकारी/कार्मिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा लापरवाही से कार्य करने के कारण गलत पास आर्डर जारी किया जाता है तो तत्काल जांच कर उनके विरुद्ध सक्षम स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही करवाने की कार्यवाही आवश्यक रूप से करें।
 9. निदेशालय के ध्यान में आया है कि सत्र 2016-17 में प्रथम किस्त के भुगतान के समय बजट के अभाव अथवा गलत मद में पास आर्डर जारी कर लिये गये थे जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। अतः शैक्षिक सत्र 2016-17 की द्वितीय किस्त के पुनर्भरण हेतु पास आर्डर जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि जिन गैर सरकारी विद्यालयों का पास आर्डर जारी किया जा रहा है उनकी बजट राशि आरटीई मद में उपलब्ध है। बजट की कमी/गलत मद में किसी भी स्थिति में पासआर्डर जारी नहीं करें।
 10. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक गैर सरकारी विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2016-17 की द्वितीय किस्त का पुनर्भरण संबंधित बीईईओ/जि.शिक्षा कार्यालयों द्वारा किया जाना है। अतः संबंधित बीईईओ/जि.शिक्षा कार्यालयों द्वारा बजट की मांग राशि के सही व पूर्ण प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में तैयार कर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को प्रेषित करेंगे। प्राप्त बजट राशि के अनुसार ही ऑनलाईन पास आर्डर जारी करेंगे।
 11. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक गैर सरकारी विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2016-17 की द्वितीय किस्त का पुनर्भरण संबंधित जि.शिक्षा मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा किया जाना है। अतः संबंधित जि.शिक्षा मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) के कार्यालयों द्वारा बजट की मांग राशि के सही व पूर्ण प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में तैयार कर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को प्रेषित करेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के बजट अनुभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के बजट अनुभाग से समेकित रूप से बजट डिमांड की जावे जिसके आधार पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के बजट अनुभाग द्वारा मांग के अनुरूप एकमुश्त बजट राशि जारी की जावे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर प्राप्त बजट राशि में से संबंधित जि.शिक्षा मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों को उनकी मांग के अनुसार बजट राशि आवंटित करेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से प्राप्त बजट राशि के अनुसार ही ऑनलाईन पासआर्डर जारी करेंगे।
 12. संबंधित बीईईओ/जि.शिक्षा/मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय पासआर्डर जारी करते समय संबंधित गैर सरकारी विद्यालय का बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड संख्या आवश्यक रूप से मिलान कर लें। सही नहीं होने की स्थिति में ऐसे विद्यालय का पासआर्डर जारी नहीं करें तथा बैंक खाता संख्या एवं बैंक IFSC कोड सही करवाकर ही पास आर्डर जारी करें।
 13. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा पासआर्डर का 'ड्राफ्ट' (draft) तैयार कर हार्ड कॉपी निकालकर मिलान करने के पश्चात् ही अंतिम रूप से पास आर्डर जारी किया जावे जिससे गलत पास आर्डर जारी होने की संभावना नहीं रहे।
 14. संबंधित बीईईओ/जि.शिक्षा/मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर अपने नियंत्रणाधीन समस्त गैर सरकारी विद्यालयों को निर्देश प्रदान करावें कि वे क्लेम बिल संबंधित कार्यालयों में रजिस्टर्ड (एडी) डाक से समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा उसी दिन आरटीई वेब पोर्टल पर उसका इन्द्राज करें।
 15. आरटीई वेब पोर्टल (rte.raj.nic.in) पर पासआर्डर जारी करने, बिल बनाने, क्लेम बिल जारी करने, क्लेम बिल निरस्त करवाने के समय संबंधित बीईईओ/जि.शिक्षा/मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)/गैर सरकारी विद्यालय द्वारा अनुभूत की जाने वाली किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर स्थित आरटीई के केन्द्रीय कंट्रोल रूम (Central Control Room) जयपुर के दूरभाष नंबर 0141-2719073, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के दूरभाष नम्बर 0151-2220140 तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के दूरभाष नम्बर 0151-2226055 पर संपर्क करें तथा समस्या का पूर्ण विवरण संबंधित कार्यालय द्वारा पत्र लिखकर केन्द्रीय कंट्रोल रूम, शिक्षा संकुल, जयपुर के ई-मेल आईडी rteccrhelp@gmail.com पर मेल करें।

केन्द्रीय कंट्रोल रूम, शिक्षा संकुल, जयपुर:-

दूरभाष नंबर- 0141-2719073 (जयपुर)

Email ID- rteccrhelp@gmail.com

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर:- (प्रा./उ.प्रा. वि./बीईईओ/जिशिअ प्रा.शिक्षा कार्यालयों के संबंध में)
दूरभाष नंबर- 0151-2220140 (बीकानेर) Email ID- ddrtebknr@gmail.com


माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर:- (मा/उ.मा. विद्यालय/जिशिअ मा.शिक्षा कार्यालयों के संबंध में)
दूरभाष नंबर- 0151-2226055 (बीकानेर) Email ID- ad.rte.dse@rajasthan.gov.in


निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
3. वरिष्ठ शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप-5), शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) से उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने का श्रम करावें ।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि बिन्दु संख्या 10 एवं 11 के अनुसार बजट आवंटन की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी कार्यालय ।
7. उपायुक्त (आरटीई), राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
8. प्रोजेक्ट प्रभारी आरटीई पोर्टल, NIC केन्द्र, खंड 6, प्रथम तल, शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि शैक्षिक सत्र 2016-17 की द्वितीय किस्त के पुनर्भरण राशि के भुगतान हेतु आरटीई पोर्टल पर क्लेम बिल जनरेट करने एवं पास आर्डर जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराने तथा इस संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को SMS द्वारा सूचित करने का श्रम करावें।
9. उप निदेशक प्रारंभिक/मा.शिक्षा (समस्त)..... को भेजकर लेख है कि अपने मंडल के अधीन बीईईओ/जिशिअप्राशि/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों से उक्त निर्देशों की पालना करवाना सुनिश्चित करावें तथा कार्यालय में प्रभावी मोनिटरिंग कर की गई कार्यवाही से निदेशालय को प्रेषित करें ।
10. सहायक लेखाधिकारी (बजट), बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि बिंदु संख्या 10 एवं 11 के अनुसार बजट आवंटन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।


निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर